

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक..... 180 सीकर/2003 - 2004

यह प्रमाणित किया जाता है कि 'संस्कार शिक्षण समिति'

दांतारामगढ़

जिला सीकर का राजस्थान

संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम सं. 28,1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 28 माह फरवरी
सन् दो हजार (०५) चार को सीकर में दिया गया ।
अठईस

बी. हल. सोणा
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार बुधवार, सीकर
सीकर

संस्कार शिक्षण समिति

समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम 'संस्कार शिक्षण समिति', दांतारामगढ़, सीकर (राज.) समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 'दांतारामगढ़ (सीकर)' तथा कार्यक्षेत्र 'सीकर (राज.) क्षेत्र' समिति, दांतारामगढ़ है तथा इसका कार्यक्षेत्र 'संपूर्ण जिला सीकर' क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना।
2. क्षेत्रिय स्तर पर उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय की स्थापना करना।
3. महामहिम राष्ट्रपती डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के 'भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने' के सपने को पूरा करने के लिए महिलाओं को कॉलेज शिक्षा दिलाना।
4. उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना व त्वावलम्बी बनाना।
5. छात्र-छात्राओं में कठिन परिश्रम, ईमानदारी, दृढ़ निश्चय,

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4

अध्यक्ष प्रध्यक्ष

संस्कार शिक्षण समिति
दांतारामगढ़ (सीकर) राज.

मन्त्री

संस्कार शिक्षण समिति
दांतारामगढ़ (सीकर) राज.

कोषाध्यक्ष

संस्कार शिक्षण समिति
दांतारामगढ़ (सीकर) राज.

देश भक्ति व नैतिक गुणों का विकास करना ।

6. मुख्यतया द्वात्रास कक्षा छात्र करने के पश्चात् स्थानिक स्तर पर महाविद्यालय नहीं होने के कारण पढाई छोड़ देती

7 हैं। ऐसी महिलाओं के लिए उनके निकटतम स्थान पर महिला महाविद्यालय की स्थापना करना ताकि महिलाएँ भी उच्च अध्ययन कर सकें।

8. महिलाएँ परिवार की धुरी होती हैं। अतः वे जब पूर्ण रूप से स्वावलम्बी व उच्च शिक्षित होगी तो पूरा परिवार, समाज व देश उन्नति करेगा। अतः उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित।

9. महिलाएँ शिक्षित होगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागृत बनेंगी जिससे उनका शोषण नहीं हो पायेगा।

10. सरकार के साक्षरता कार्यक्रमों को बढावा देना व उनमें लक्ष्यों को प्राप्त करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

5

संस्कार शिक्षण समिति
अध्यक्ष अध्यक्ष

संस्कार शिक्षण समिति
दातारामगढ़ (सीकर) राज.

दि. 30/11/13

मन्त्री
सचिव

संस्कार शिक्षण समिति
दातारामगढ़ (सीकर) राज.

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

संस्कार शिक्षण समिति
दातारामगढ़ (सीकर) राज.